

न्यायालय जिला कलेक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी - संदेश नायक, आई.ए.एस., जिला कलेक्टर, चूरू (राजस्थान)

दायरा दिनांक 24.1.2020

प्रार्थना-पत्र (सरफैसी) संख्या 06 सन् 2020

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा कार्यालय- सरदारशहर जिला चूरू

-प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स नवदीप मोटर्स, रोडवेज बस स्टेण्ड के पीछे, सरदारशहर जिला चूरू प्रो. श्री जगदीश सिंह सिद्ध पुत्र श्री भीम नाथ सिद्ध, पता- रोडवेज बस स्टेण्ड के पास, सरदारशहर जिला चूरू
2. श्री सुनील सिद्ध पुत्र श्री भीमनाथ सिद्ध, पता- द्वारा नवदीप मोटर्स, रोडवेज बस स्टेण्ड के पीछे, सरदारशहर जिला चूरू
3. श्री हंसराज सिद्ध पुत्र श्री भीमनाथ सिद्ध, पता- रोडवेज बस स्टेण्ड के पीछे, सरदारशहर जिला चूरू
4. श्री भेरू सिंह चारण पुत्र श्री मुरारधन चारण, पता- द्वारा करणी मोटर्स स्टोर, निजी बस स्टेण्ड के पास, सरदारशहर जिला चूरू

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002



-:: निर्णय ::-

निर्णय दिनांक 10.2.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी से दिनांक 17.1.2006 को 10,00,000/- रुपये (अखरे दस लाख रुपये मात्र) ऋण की सुविधा दी गई थी तथा अप्रार्थी श्री हंसराज व श्री सुनील सिद्ध पुत्रगण श्री भीमनाथ सिद्ध की आवासीय भूमि जो विक्रय पत्र संख्या 688 दिनांक 21.9.1988 द्वारा क्रय की गई है जो अर्जुन क्लब के पास, सरदारशहर जिला चूरू में स्थित भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप 2750 वर्गफीट है का सामयिक बंधन करवाया था, जिसका आसा-पासा इस प्रकार है। उतर में - भागीरथ सिद्ध, दक्षिण में - रास्ता, पूर्व में - भीमनाथ सिद्ध, पश्चिम में - रास्ता।

जिला कलेक्टर
२६

2. ऋणी द्वारा उपलब्ध ऋण को बैंक को नियमानुसार नहीं चुकाने के कारण ऋण खाता बैंक ने दिनांक 31.12.2018 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया तथा प्रार्थी ने दिनांक 1.1.2019 को अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर दिया।

3. अप्रार्थी द्वारा बैंक के ऋण राशि व ब्याज राशि अदा नहीं किए जाने पर यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002 मय दिनांक 16.8.2016 को हुए संशोधन के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।


4. प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. अप्रार्थी ऋणियों द्वारा ऋण राशि वापस भुगतान में चूककर्ता रहने पर बैंक द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया है जिसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। जिससे The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 25(1) Plan/1F/VI/2005/P II Jaipur दिनांक 10.3.2006 एवं संशोधन दिनांक 16.8.2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थी द्वारा ऋण सुविधा लेते समय जिस सम्पत्ति को परिसम्पत्ति के रूप में प्रार्थी के पक्ष में बंधक किया गया था (रिकॉर्ड के अनुसार) उस सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी को जरिये पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

6. निर्णय की प्रतिलिपि प्रार्थी एवं पुलिस अधीक्षक, चूरू को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 10.2.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(संदेश नायक)
जिला कलेक्टर, चूरू